TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA EXTRAORDINARY PART-II
SECTION 3, SUB-SECTION (ii) DATED THE 27th JUNE, 1995

Government of India
Ministry of Finance
(Department of Revenue)
****

New Delhi the 27th June, 1995

NOTIFICATION

S.O. (E).- Whereas by notification vide S.O. 521(E) dated 14th July, 1994 issued under clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government had specified at serial number 11, the - Construction of sports complex at Chas Kaman Lake Residential School, Near Pune District, Maharashtra of Krishnamurti Foundation India, 64-65, Greenways Road, Madras-600028 as an eligible project or scheme for a period of one assessment year commencing from the assessment year 1995-96;

AND WHEREAS the said project or scheme is likely to extend beyond one year;

AND WHEREAS the National Committee has, being satisfied that the said project or scheme is being executed properly, made a further recommendation under sub-rule (5) of rule 11M of the Income Tax Rules, 1962 for specifying the said project or scheme for a further period of one year;

NOW, THEREFORE, the Central Government in exercise of the powers conferred by clause (b) of Explanation to section 35AC of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereby specifies the scheme of construction of sports complex at Chas Kaman Lake Residential School, Near Pune District, Maharashtra which is being carried out by Krishnamurti Foundation India, 64-65, Greenways Road, Madras-600028 without change in the approved cost as an eligible project or scheme for a further period of one year in relation to assessment year 1996-97.

(V.K. Sehgal)
Deputy Secretary to the Government of India

No. 9795
F.No. NC-44/95

त के राजपत्र, असाधारण, भाग 2 खण्ड 3 , उपखण्ड (ii) दिनांक 27 जून 1995 में प्रकाशनार्थ

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली 27 जून, 1995

अधिसूचना

का॰ आ॰ (अ)-केन्द्रीय सरकार ने आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं॰ का॰ आ॰ 521(अ) दिनांक 14 जुलाई 1994 द्वारा क्रम संख्यांक 11 में कृष्णामूर्ति फाउंडेशन इंडिया 64-65 ग्रीनवेज रोड, मद्रास-600 028 के पुणे जिला महाराष्ट्र के चास कमान लेक, आवासीय विद्यालय में खेलकूद काम्पलैक्स का निर्माण निर्धारण वर्ष 1995-96 से प्रारम्भ होने वाले एक निर्धारण वर्ष की अवधि के लिए पात्र परियोजना या स्कीम विनिर्दिष्ट को थी;

और उक्त परियोजना या स्कीम के एक वर्ष से अधिक बढ़ाये जाने की संभावना है:

और राष्ट्रीय समिति ने यह समाधान हो जाने पर कि उक्त परियोजना या स्कीम का निष्पादन उचित रूप से किया जा रहा है, आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ड के उपनियम (5) के अधीन उक्त परियोजना या स्कीम को एक वर्ष की और अवधि के लिये विनिर्दिष्ट करने की सिफारिश की है;

अत: अव, केन्द्रीय सरकार आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 35 क ग के स्पष्टीकरण के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कृष्णामूर्ति फाउंडेशन इंडिया, 64-65 ग्रीनवेज रोड, मद्रास-600 028 के पुणे जिला महाराष्ट्र के चास कमान लेक, आवासीय विद्यालय में खेलकूद कम्पलैक्स भवन का निर्माण की स्कीम को अनुमोदित लागत में बिना परिवर्तन के निर्धारण वर्ष 1996-97 की वावत एक वर्ष की अवधि के लिये पात्र परियोजना या स्कीम विनिर्दिष्ट करती है।

(वी॰ के॰ सहगल)
उप सचिव, भारत सरकार

सं॰ 9795
फा॰ सं॰ - एन॰सी॰-44/95